<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इरेडा के के सीएमडी ने एसबीआई बैंकिंग एवं इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में भारत के हरित विकास मार्ग पर प्रकाश डाला

7 नवम्बर , 2025, मुंबई

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने आज मुंबई में एस.बी.आई. द्वारा आयोजित 12वें बैंकिंग और वित्तीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसका विषय "सतत अवसरों के माध्यम से जलवायु चुनौतियों का समाधान" था।

इस संबंध में एक रोचक समूह चर्चा के दौरान, श्री दास ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में इरेडा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को तेज़ करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक 247 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है (2014 से तीन गुना वृद्धि) और 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, जोकि सरकार के ऊर्जा परिवर्तन पर केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। श्री दास ने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना न केवल भारत को उसके जलवायु संकल्पों को पूर्ण करने में मदद करेगा, बल्कि लाखों हरित रोजगार का सृजन करेगा और घरेलू विनिर्माण व नवाचार के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। इरेडा की प्रगति को उल्लेखित करते हुए उन्होंने यह साझा किया कि संस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में स्वच्छ ऊर्जा और हरित विनिर्माण क्षेत्रों में ₹33,148 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

श्री दास ने इस विषय पर विशेष ध्यान देते हुए यह कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थिरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी की आधारशिला है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन एवं भंडारण, परिवहन एवं उद्योग का विद्युतीकरण, तथा हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी प्रणालियों का विस्तार शामिल है। वर्ष 1987 में स्थापना के बाद से, इरेडा ने ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, और सौर-पवन ऊर्जा हाइब्रिड परियोजना, एथेनॉल, ग्रीन अमोनिया, स्मार्ट मीटर एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी उभरती तकनीकों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पहलों के माध्यम से, संगठन ने सतत विकास की दिशा में संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर रूप से किया है।

श्री दास ने भारत में हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसमें हरित वर्गीकरण का विकास और हरित ऋणदाताओं के लिए जोखिम सीमा पर रियायती प्रावधान शामिल हैं, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े कम जोखिम को मान्यता देते हैं।